10178/20 ACC Address-Na... Licence No.-72...

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

मो० शब्बीर

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP16925877978055S
Certificate Issued Date	:	17-Dec-2020 12:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14236404/ NAWABGANJ SADAR/ UP-BNK
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14236404273046233499914S
Purchased by	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	GATA NO-282/4 SITUATED AT VILL-MATI PER-DEWA TEH-NAWABGANJ,BARABANKI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MOHD SHABBEER
Second Party	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Paid By	:	F B INFRA DEVELOPERS LLP THRU PARTNER
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	50,000 (Fifty Thousand only)

-----Please write or type below this line-----

मु० शब्बीर

FB INFRA DEVELOPERS LLP

RS 0003559224

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

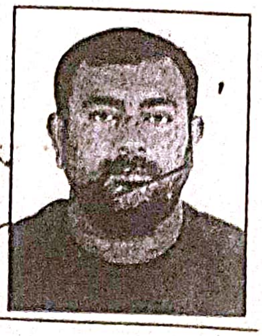

(2)

विक्रय - पत्र

बिक्री 10,00,000/- मालियत 8,67,000/- ई-स्टाम्प 50,000/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1.	भूमि का प्रकार	-	कृषि
2.	परगना	-	देवां
3.	ग्राम	-	माती (वी कोड 1188 पृष्ठ 42)
4.	सम्पत्ति का विवरण भूमि नं0-		282/4
5.	यूनिक कोड	-	1645810028210112
6.	मापन की इकाई	-	हेक्टेअर
7.	बिक्रीत क्षेत्रफल	-	0.1445 हेक्टेअर
8.	सड़क की स्थिति	-	आउटर रिंग रोड से 100 मी0 दूरी पर
9.	अन्य	-	कुछ नही
10.	सम्पत्ति का प्रकार	-	कृषि भूमि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	-	कुछ नहीं
12.	बोरिंग कुआं व अन्य	-	कुछ नहीं
13.	सरकारी दर	-	60,00,000/- प्रति हे0
13.	प्रतिफल की धनराशि	-	10,00,000/-

FB INFRA DEVELOPERS LLP

14. चौहद्दी :-

पूरब - खेत मो0 जुबेर अहमद
पश्चिम- चकमार्ग
उत्तर - मो0 इदरीश आदि
दक्षिण - गाटा संख्या 279

प्रथम पक्ष संख्या 1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष संख्या 1 क्रेता का विवरण
मो0 शब्बीर पुत्र बसीर अहमद निवासी- ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। व्यवसाय- कृषि Adhar No- 9485 2093 4879 Pan NO- IGBPS1127M M.No- 7523849784	**एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0** **(Pan No-AAHFF4066A)** पार्टनर **संतोष कुमार सिंह** पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच व्यवसाय- व्यापार Adhar No-8000 9299 1217 M.No- 6393477103

-: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण :-

हम **मो0 शब्बीर पुत्र बसीर अहमद** निवासी- ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी। **प्रथम पक्ष विक्रेता** व **एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एल0एल0पी0** पार्टनर **संतोष कुमार सिंह** पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी- ग्राम कटहा, कारीपुरवा, सबलापुर जिला बहराइच **द्वितीय पक्ष क्रेता**। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।----

मो0 शब्बीर

FB INFRA DEVELOPERS LLP

जो कि प्रथम पक्ष की आराजी गाटा संख्या 282/4 रकबा 0.289हे0 जो ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है। जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग का पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर हैं। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्षों के स्वामित्व व कब्जे में है। कोई अन्य व्यक्ति उनके भाग में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी के अपने सम्पूर्ण 1/2 भाग अर्थात् 0.1445हे0 (शून्य दशमलव एक चार चार पांच हे0) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 10,00,000/- (दस लाख रूपया) जिसके आधे 5,00,000/- (पांच लाख रूपया) होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य जरिये आर0टी0जी0एस0 के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुके हैं। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।यदि लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा 20,000/-रूपये से अधिक का नगद लेन-देन किया गया है। यदि इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया।----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

मु० शाकिर

मैं प्रथम पक्ष इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी हैं जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष व मेरे वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत भूमि किसी मुख्य सड़क व अन्य सड़क व खड़न्जा मार्ग पर स्थित नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। इसमें कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि में कोई पेड़ व बोरिंग व कुऑ नहीं है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हे। विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है।---

FB INFRA DEVELOPERS LLP

जिसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान नही है। जिसकी मालियत सरकार द्वारा निर्धारित दर से मु0 60,00,000/- प्रति हे0 की दर से मु0 8,67,000/- रूपया होती है। जिसपर अधिसूचना आदेश संख्या-स0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत 50,000/- रूपया जरिये ई-स्टाम्प अदा किये गये हैं। चौहद्दी : पूरब खेत मो0 जुबेर अहमद पश्चिम चकमार्ग उत्तर मो0 इदरीश आदि दक्षिण गाटा संख्या 279. लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया हैं कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। विक्रेता व क्रेता के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल साक्ष्यों के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति प्रपत्र के साथ संलग्न है। विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है। उभयपक्ष ने प्रस्तुत लेखपत्र को सुन/पढ़ व समझकर स्वीकार किया है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं हैं और न ही स्थगन आदेश पारित है।----

FB INFRA DEVELOPERS LLP

मु० शब्बीर

विक्रय पत्र

बही स०: 1 | रजिस्ट्रेशन स०: 18198 | वर्ष: 2020

प्रतिफल- 1000000 स्टाम्प शुल्क- 50000 बाजारी मूल्य - 867000 पंजीकरण शुल्क - 10000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 10060

श्री मो० शब्बीर , मु० शब्बीर
पुत्र श्री बसीर अहमद
व्यवसाय : कृषि
निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 17/12/2020 एवं 03:18:27 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार चौधरी
उप निबंधक :सदर
बाराबंकी
17/12/2020

सूर्य प्रकाश पाण्डेय
निबंधक लिपिक

12/17/202

लेखपत्र में अंकित सम्पत्ति वक्फ की सम्पत्ति नहीं है।

FB INFRA DEVELOPERS LLP

दिनांक 17.12.2020

गवाह 1
अखिलेश सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह
निवासी-ग्राम व पोस्ट खेमापुर,
जिला अम्बेडकरनगर
Adhar No- 6740 5298 9087
M.No-9653030866

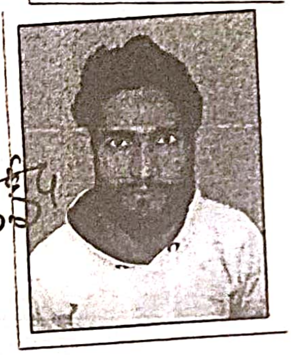

गवाह नं02
मो0 मुईद पुत्र मो0 शब्बीर
निवासी-ग्राम माती पो0 मुरादाबाद बाराबंकी
Adhar No- 8703 1708 1050
Mob- 7523849784

मसविदाकर्ता
आशीष कुमार उपाध्याय
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, बाराबंकी

आवेदन सं०: 202000898026442

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 18198 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मो० शब्बीर, पुत्र श्री बसीर अहमद

निवासी: ग्राम माती परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2

श्री एफ०बी० इन्फ्रा डेवलपर्स एल०एल०पी० द्वारा पार्टनर संतोष कुमार सिंह, पुत्र श्री कमल बहादुर सिंह

निवासी: ग्राम कटहा कारीपुरवा सबलापुर जिला बहराइच

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अखिलेश कुमार सिंह, पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री मो० मुईद, पुत्र श्री शब्बीर

निवासी: ग्राम माती पो० मुरादाबाद बाराबंकी

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

धर्मेन्द्र कुमार चौधरी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी

सूर्य प्रकाश पाण्डेय
निबंधक लिपिक

12/17/2020, 3:4

( )

नजरी–नक्शा

भूमि स्थित ग्राम :– माटी
बिक्रीत खसरा न0 :– 284/4
विक्रेता :– मो० शब्बीर
क्रेता :– एफ० बी० इन्फ्राडेवलपर्स द्वारा सन्तोष कुमार सिंह

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण—

उत्तर
पश्चिम पूरब
दक्षिण

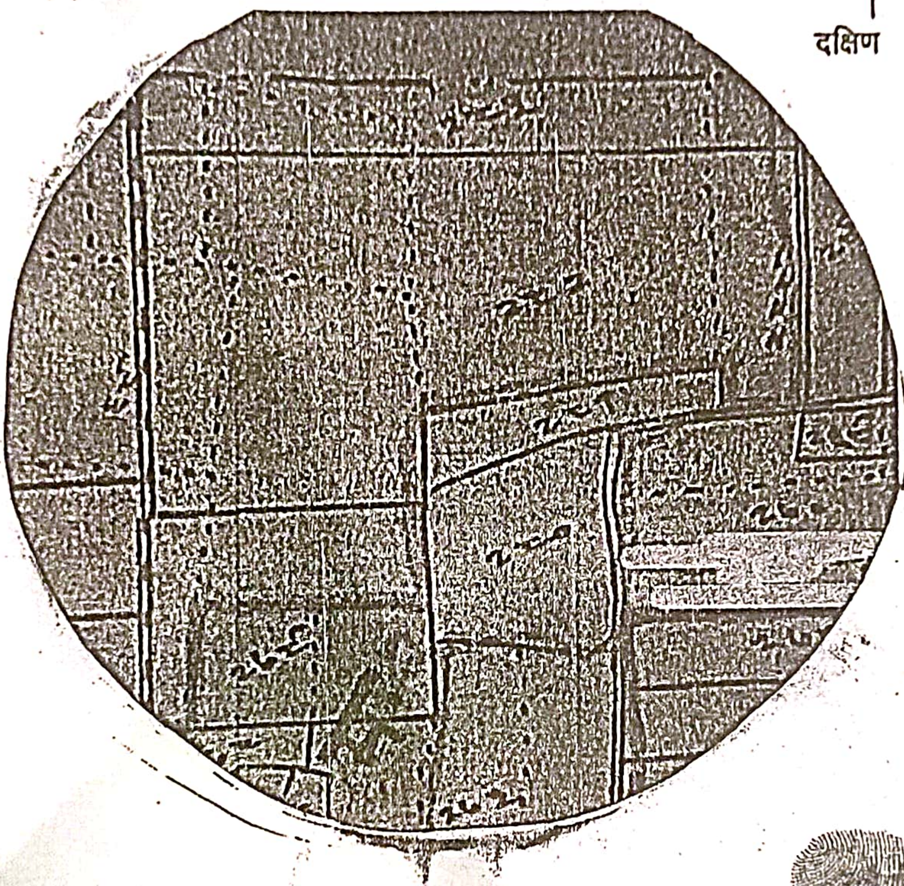

मु० शब्बीर

विक्रेता

FB INFRA DEVELOPERS LLP

क्रेता

न सं०: 202000898026442

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13637 के पृष्ठ 241 से 256 तक क्रमांक 18198 पर दिनाँक 17/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार चौधरी
उप निबंधक : सदर
बाराबंकी
17/12/2020

कार्यालय उपनिबंधक नवाबगंज जिला बाराबंकी • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते

12/17/2020, 3:

न्यायालय : - उपजिलाधिकारी,(न्यायिक)

मण्डल :अयोध्या , जनपद :बाराबंकी , तहसील :नवाबगंज

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202241248012182२

वाद संख्या:- 21822/2022

ए बी इन्फ डेवलपर्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80

अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 12/12/2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी ग्राम कटहा काजीपुरवा सबलापुर जनपद बहराइच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.09.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 03.12.2022 के आधार पर वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खाता संख्या 00458 की गाटा संख्या 282/4 रक्बा 0.289हे0 में से रक्बा 0.1445 भूमि स्थित ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर गैरकृषिक गतिविधियॉ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैरकृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या दिनंाक 03.12.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी का नाम खतौनी वर्ष 1427-1432फ0 की खाता संख्या 00458 की गाटा संख्या 282/4 रक्बा 0.289हे0 में से रक्बा 0.1445 माल गुजारी परता खाता को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही हैः-

1-धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्त्रतगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् हैः-

राजस्व ग्राम का नाम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थान- एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह निवासी ग्राम कटहा काजीपुरवा सबलापुर जनपद बहराइच।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षे0/माल गुजारी- 00458/0.694हे0/रू0 30.55

गाटा संख्या/आवेदित अंशः- गाटा संख्या 282/4 रक्बा 0.1445हे0

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 8670-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 8670-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 0.1445हे0 पर आवासीय गतिविधियॉ विद्यमान है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्त्रतगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 8670-00 चालान संख्या आर0ए0जे0 220047546/10.12.2022 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान संख्या 5400/01/एल0 900084/09.12.2022 व स्टाम्प शुल्क रू0 8670 का ई0 स्टाम्प संख्या आई0एन0-यू0पी0-74370907701378यू0/09.12.2022 आवेदक द्वारा दाखिल किया गया है।

5- चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्र्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार हैं। जिनका अनापत्ति विषयक शपथ पत्र दाखिल है।

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खाता संख्या 00458 की गाटा संख्या 282/4 रक्बा 0.289हे0 में से रक्बा 0.1445हे0 माल गुजारी परता खाता भूमि को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्र्तगत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जॉच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदित रकबा 0.1445हे0 गैरकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्र्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 8670-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 8670-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्र्तगत गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम माती परगना देवां तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी वर्ष 1427-1432फ0 की खाता संख्या 00458 की गाटा संख्या 282/4 रक्बा 0.289हे0 में से रक्बा 0.1445हे0 पर दर्ज एफ0बी0 इन्फ्रा डेवलपर्स एलएलपी पार्टनर संतोष कुमार सिंह पुत्र कमल बहादुर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि को धारा-80(2) उ0प्र0 रा0 सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्र्तगत गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नही होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की महायोजना पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्या के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्र्तगत कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक-12 दिसम्बर,2022

(विश्वमित्र सिंह)

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)

नवाबगंज-बाराबंकी।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"